स्टरलाइट ववािद और मानवाधकिार

संदर्भ

तमलिनाडु के तूतीकोरनि में वेदांता समूह द्वारा संचालति स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को बंद करने की मांग को लेकर हज़ारों प्रदर्शनकारयिों पर पुलसिकर्मयिों द्वारा गोलीयाँ चलाई गई जसिमें कई प्रदर्शनकारयिों को अपनी जान गवानी पड़ी। प्रदर्शनकारयिों ने आरोप लगाया है कि पुलसि ने बनिा उकसावे के ही शांतपूिर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बल का प्रयोग कयिा। अतः इस घटनाक्रम को मानवाधकिारों के उल्लंघन के मामले रूप में देखा जा रहा है।

प्रमुख बदिु

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के खलिाफ तूतीकोरनि में हसिा पर तमलिनाडु सरकार से रपिोर्ट मांगी है।
- तूतीकोरनि में प्रदर्शनकारी स्टरलाइट के तांबा गलाने वाले संयंत्र को बंद करने की मांग कर रहे हैं।
- प्रदर्शनकारयिों का आरोप है कि यह इलाके को प्रदूषति कर रहा है और जल स्तर को कम करने के अलावा इससे नविासयिों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा हो रही हैं।
- समान रूप से मानवाधकिारों के अनुपालन को सुनश्चिति करते हुए, यह एक ऐसे समुदाय का मामला है जसिके पास वरिोध करने, उत्तर देने तथा एक ऐसा व्यवसाय करने का हर वो अधकिार है, जो कानून के नयिमों के अनुसार हो।
- वशिेष रूप से प्रदर्शनकारयिों ने हमेशा यह बात ध्यान में रखी है कि वे उद्योगों के खलिाफ नहीं हैं, बल्कि संदग्धि प्रथाओं वाले खतरनाक लोगों के खलिाफ हैं।
- ध्यातव्य है कि स्टिरलाइट प्लांट से कथति रूप से जहरीले गैस रसिाव के बाद वर्ष 2013 में उन्होंने वरिोध प्रारंभ कयिा था।
- वर्ष 1997 से 2012 तक इस कंपनी से पर्यावरण को होने वाले नुकसान और काफी लंबी अवधि से वैध नवीनीकरण के बनिा संयंत्र का संचालति रखने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने स्टरलाइट पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
- गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, बहुपक्षीय एजेंसयिों, व्यवसायों और नागरकि समाज समूहों की एक सभा जसिमें वेदांता कंपनी भी एक हस्ताक्षरकर्ता है। अतः भारत सरकार के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को वेदांता समूह पर कठोर कार्यवाही करनी चाहएि।
- संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में 10 सद्धिांत शामलि हैं, जो मानव अधकिार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार के प्रमुखों नीतयिों को कवर करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट क्या है ?

संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट
UN GLOBAL COMPACT

यह दुनयिा का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्थरिता पहल है, जो कंपनयिों को आह्वान करता है कि सार्वभौमकि सद्धिांतों मानव अधकिार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार वरिोधी आदि पर एक साथ रणनीति और संचालन संरेखति कार्यों को सामाजकि लक्ष्यों की प्राप्ति की दशिा में आगे बढ़ाएं।

लक्ष्य

- संयुक्त राष्ट्र वैश्वकि कॉम्पैक्ट का लक्ष्य सतत कंपनयिों और हतिधारकों की एक वैश्वकि आंदोलन को संगठति करना है।
- समग्र रणनीतयिों और संचालन संरेखति करके व्यापार करने हेतु संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में मानव अधकिार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार वरिोधी दस सद्धिांतों पर कार्य करना है।
- इसके साथ ही व्यापक सामाजकि लक्ष्यों जैसे संयुक्त राष्ट्र सतत वकिास लक्ष्यों , सहयोग और नवाचार पर जोर देते हुए व्यापार को बढ़ावा देना है।

संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के दस सद्धिांतमानवाधकिार (human rights)

- सद्धिांत 1: व्यापार का समर्थन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषणा मानव अधकिारों के संरक्षण का सम्मान करना चाहएि; तथा
- सद्धिांत 2: यह सुनश्चिति करना कि वे मानव अधकिारों के हनन में भागीदारी नहीं कर रही हैं।

श्रम (labour)

- सिद्धांत 3: व्यापार संघ और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार के प्रभावी मान्यता की स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहिए;
- सिद्धांत 4: अनिवार्य श्रम के सभी रूपों का उन्मूलन;
- सिद्धांत 5: बाल श्रम का प्रभावी उन्मूलन; तथा
- सिद्धांत 6: रोज़गार और व्यवसाय के संबंध में भेदभाव का उन्मूलन।

पर्यावरण (Environment)

- सिद्धांत 7: व्यापार पर्यावरणीय चुनौतियों के लिये एक एहतियाती दृष्टिकोण का समर्थन करना चाहिए;
- सिद्धांत 8: अधिक पर्यावरणीय पहल जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिये कार्य; तथा
- सिद्धांत 9: विकास और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के प्रसार प्रोत्साहित करना।

भ्रष्टाचार निरोधक (Corruption)

- सिद्धांत 10: व्यापार, जबरन वसूली और रिश्वतखोरी सहित अपने सभी रूपों में भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना चाहिए।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sterlite-fracas-companies-can-ignore-human-rights